रामकृपाल सिंह

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य

16 मई, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंटा, जे.जे.)

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951- धारा 29-ऋणी कम्पनी का समापन- प्रतिभू के विरूद्ध वसूली उद्धरण- प्रतिभू द्वारा रिट याचिका में उद्धरण को, इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उसके विरूद्ध तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती, जब तक कि ऋणी की सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर दिया गया हो-उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज किया गया- अपील में अभिनिर्धारित किया कि: प्रतिभू के विरूद्ध की गयी वसूली की कार्यवाही सही थी। यदि एक ऋणी-कम्पनी का समापन होता है, तो राज्य वित्तीय निगम को शासकीय समापक की सम्मति के बिना, बंधक रखी गयी सम्पत्ति से एकपक्षीय वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (बकाया की वसूली) अधिनियम, 1972.

ऋणी कम्पनी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसे एक अन्य रिट याचिका में भी चुनौती दी गयी। कम्पनी का समापन किया गया था। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (बकाया की वसूली)

अधिनियम, 1972 के तहत अपीलार्थी/प्रतिभू के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अपीलार्थी द्वारा वसूली उद्धरण को, इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि कार्यवाही, बिना क्षेत्राधिकार के की गयी। प्रतिभू के विरूद्ध तब तक वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती, जब तक कि मूल ऋणी की सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर दिया गया हो। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रतिभू के विरूद्ध की गयी कार्यवाही सही थी क्योंकि ऋणी कम्पनी का समापन कर दिया गया था।

अतः वर्तमान अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि-

1- वर्तमान प्रकरण में, मूल ऋणी-कम्पनी का पहले ही समापन कर दिया गया और शासकीय समापक नियुक्त कर दिया गया। यदि कम्पनी परिसमापन के अधीन है तो स्थिति भिन्न होगी। यदि एक कम्पनी के समापन का, केवल जब तक कोई आदेश नहीं होता, तब तक राज्य वित्तीय निगम को, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य वित्तीय निगम, शासकीय समापक की अनुमति के बिना, बंधक रखी गयी सम्पत्तियों से वसूली करने के लिए एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर सकता है।

(पैरा नं.6,7,9 एवं 10)

इण्टरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमि. बनाम कर्नाटक स्टेट फाईनेंशियल कॉर्पोरेशन, (2003)10 एससीसी 482

पवन कुमार जैन बनाम प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एवं इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी., (2004) 6 एससीसी 758 ।

2- ऐसे मामले उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं, जहां कि राशि की वसूली की कार्यवाही को किसी बहाने से या अन्य तरह से विफल किया जाता है। अवज्ञाकारी चूककर्ताओं के मामले से सख्ती से निपटना चाहिए। (पैरा 8)

उडिसा स्टेट फाईनेंशियल कार्पोरेशन एवं अन्य बनाम होटल जोगेन्द्र, (1996) 5 एससीसी 357 ।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील नं. 2675/2007

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के याचिका सं.1112 अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.05.2005 की लम्बित)

सत्यमित्र, धीरेन्द्र पाण्डेय एवं संजय आर. हेडगे. - अपीलार्थी की ओर से।

टी.एन. सिंह, राजीव दुबे, कमलेन्द्र मिश्रा, आरोही भल्ला, सुनील कुमार एवं सुजाता कुर्दुकर -प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा पारित किया

गया।

1- अनुमति प्रदान की गई।

2- इस अपील में डिबीजनल बैंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (बकाया की वसूली) अधिनियम, 1972 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत प्रारम्भ की गयी वसूली की कार्यवाही को रिट याचिका में चुनौती दी गयी। तहसीलदार द्वारा जारी उद्धरण को मुख्यतः इस आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की गयी कि कार्यवाही, बिना क्षेत्राधिकार के की गयी है। प्रत्यर्थी, प्रतिभू/अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता, जब तक कि मूल ऋणी की सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर दिया जाता। चूकि वसूली की कार्यवाही, वर्ष 1993 में प्रारम्भ की गयी थी, इसलिए पूर्ववर्ती रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान किया गया वसूली उद्धरण अवैध था और इसलिए'पवन कुमार जैन बनाम प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एवं इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी., (2004) 6 एससीसी 758' के मामले में प्रतिपादित मत को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी, संरक्षण प्राप्त करने का हकदार था।

3- इसके अलावा प्रत्यर्थीगण द्वारा की गयी कार्यवाही को, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 'कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एवं इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी.,(2003) 4 एससीसी 305'

से समर्थित एवं निर्भर होना बताया तथा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जहां कि कम्पनी का परिसमापन कर दिया गया और शासकीय समापक नियुक्त कर दिया गया, वहां 'पवन कुमार' का उपरोक्त मामला लागू नहीं होता है।

4- उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कम्पनी का समापन कर दिया गया है और प्रतिभू/अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही पूर्णतया आदेश की पालना में थी।

5- पक्षकारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गये तर्कों को ही इस अपील में दोहराया गया। 'पवन कुमार' के उपरोक्त मामले में न्यायालय द्वारा, जो भी कहा गया है, उसके कारण, प्रथम दृष्टया अपीलार्थी मजबूत स्थिति में होना प्रतीत होता है।

6- उच्च न्यायालय के आदेश के सूक्ष्मतः विचार किये जाने के उपरांत यह निष्कर्ष प्रकट होता है कि यद्यपि वसूली उद्धरण दिनांक 24.01.2004 के पश्चात् अर्थात् दिनांक 18.09.2004 को जारी किया गया था। यह भी ध्यान योग्य है कि पहला वसूली उद्धरण दिनांक 03.09.1993 को जारी किया गया था। यह सत्य है कि इसी को, अन्य रिट याचिका में चुनौती दी गयी थी। किन्तु उनकी मूल विशेषताएँ भिन्न-भिन्न हैं। वर्तमान मामला उपरोक्त 'पवन कुमार' के मामले से भिन्न है, क्योंकि मूल ऋणी-कम्पनी का पहले ही समापन कर दिया गया एवं शासकीय समापक नियुक्त

कर दिया गया। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) द्वारा दिनांक 17.11.1994 को, कम्पनी को बीमा उद्योग घोषित कर दिया गया था। जहां कम्पनी के समापन की प्रक्रिया में होने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गयी। बी.आई.एफ.आर ने कम्पनी के बंद करने की शिफारिश की तथा अपीलार्थी ने बी.आई.एफ.आर के आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 09.01.1997 को खारिज कर दिया गया। कम्पनी ने बी.आई.एफ.आर और अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों पर प्रश्न उठाते हुए एक रिट याचिका नं. 14172/1997 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 26.02.2003 को खारिज कर दिया गया और समापन कार्यवाही में, कम्पनी न्यायालय द्वारा शासकीय समापक को, समापन कार्यवाही किये जाने की अनुमति दी।

7- ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार समझौते का प्रयास किया गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा कुछ भी यथार्थपूर्ण नहीं किया गया। 'इण्टरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमि. बनाम कर्नाटक स्टेट फाईनेंशियल कॉर्पोरेशन, (2003)10 एससीसी 482' में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कम्पनी परिसमापन के अधीन है, तो स्थिति भिन्न होगी।

8- ऐसे मामले उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं, जहां कि धनराशि की वसूली की कार्यवाही को किसी बहाने से या अन्य तरह से विफल किया जाता है। 'उडिसा स्टेट फाईनेंशियल कार्पोरेशन एवं अन्य बनाम होटल जोगेन्द्र,

(1996) 5 एससीसी 357' के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अवज्ञाकारी चूककर्ताओं के मामले से सख्ती से निपटना चाहिए।

9- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (एस.एफ.सी. अधिनियम) की धारा 29 के तहत राज्य वित्तीय निगम को, ऋणी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है, यदि एक कम्पनी है तो केवल तब तक, जब तक कि उसके समापन का कोई आदेश न हो।

10- एस.एफ.सी., शासकीय समापक की अनुमति से बिना, बंधक रखी गयी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर सकता।

11- यदि शासकीय समापक अनुमति नहीं देता है तो एस.एफ.सी को कम्पनी न्यायालय से शासकीय समापक के लिए यथोचित निर्देश प्राप्त करना होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय समापक कम्पनी न्यायालय से बिना निर्देश प्राप्त किये, कोई कार्य नहीं कर सकता और उसके पर्यवेक्षण में रहेगा।

12- अन्ततः परिणाम यह है कि अपील गुणावगुण की योग्यता के बिना खारिज किये जाने योग्य है। जिसको हम खारिज करते हैं। कोई खर्च अधिरोपित नहीं किया गया।

अपील खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनीत कुमार, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।